संख्या–1052/xxiv (7)43(2)/2008

प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–2010 में राजकीय महाविद्यालय, डाकपत्थर देहरादून में छात्रावास भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री विकास/5257/2009–10 दिनांक 24–8–09 तथा शासनादेश संख्या 95/xxiv (7)/2006 दिनांक 19–3–08 एवं शासनादेश संख्या 454/xxiv (7) 43(2)/2006 दिनांक 27–2–09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर के छात्रावास भवन निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, के अनुमोदित आगणन रु0 3,42,66,000/– के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 2,42,66,000/– के विरुद्व वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में रु0 36,00,000/(रु0 छत्तीस लाख मात्र) व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्वन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्वन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्वन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य के लिये अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग शीध्रता से करने तथा कार्य शीध्रता से निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा, निर्माण इकाई द्वारा विलम्व करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी तथा आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा ।

4– निदेशक उच्च शिक्षा, कार्यदाई संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदाई संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरुप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेंगें। यदि लिखित समयावधि के अर्न्तगत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदाई संस्था से 5

प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्व होने पर कार्यदाई संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

5– उक्त निर्माण कार्य में आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्क्चर, जो भू वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार प्राविधानित किया गया है, के सम्वन्ध में प्राचार्य द्वारा सुसंगत अभिलेखों में तकनीकी पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्वन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय । उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

5– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सी0बी0आर0आई0 रुडकी से सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था कों देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा।

6– इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 31 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय –01– सामान्य शिक्षा–आयोजनागत– 203– विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा––03–राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावास/ भवनों का निर्माण –24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 429 (p)/xxxvii(3)/2008 दिनांक 14.10.09 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीया,

(राधिका झा)
अपर सचिव

सं0 1052(1)/ xxiv (7)43(2)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2–कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
3–प्रयोजना प्रवन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, देहरादून इकाई।
4–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर देहरादून।
5–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
6–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
7–वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8–विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(पी0एल0 शाह)
उप सचिव